।। न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी — सुश्री नवज्योति कंवरिया, आर०ए०एस०(प्रशिक्षु)

राजस्व वाद नं०	तारीख रज्जू	तारीख प्रा० निर्णय
1/104	16.08.2022	29.11.2022

01— नीता दर्गन पत्नी श्री रोहित दर्गन, जाति पंजाबी निवासी 17 विजय भवन, भगत सिंह सर्किल के पास, कैलाश कॉलोनी, अलवर

02— शशि दर्गन पत्नी श्री प्रदीप दर्गन, जाति पंजाबी निवासी 17 विजय भवन, भगत सिंह सर्किल के पास, कैलाश कॉलोनी, अलवर

03— राजीव कुमार जैन पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जैन निवासी 511ए अखैपुरा मौहल्ला, प्रताप स्कूल के सामने, घोडा फेर सर्किल, अलवर

04— संदीप जैन पुत्री सुमन लाल जैन, निवासी 1 च 13 काला कुंआ हाउसिंग बोर्ड, अलवर

05— सरबजीत सिंह पुत्र रमिन्द्रसिंह अलंग, जाति सिक्ख, निवासी प्लाट नं० 181 स्कीम नं० 8, अलवर —वादीगण

बनाम

01— राजकुमार तीर्थानी पुत्र डा. विजय कुमार निवासी विजय भवन, बापू बाजार, अलवर

02— वीरेन्द्र पुत्र श्री श्रीराम, जाति अग्रवाल, निवासी जावली भवन, अलवर

03— वीरेन्द्र कुमार पुत्र भगवान सिंह जाति जाट, निवासी जाहगीरपुर तहसील झज्जर जिला रोहतक (हरियाणा)

04— श्रीमती निर्दोष खुराना पत्नी हरीश खुराना, निवासी 68 साउथ वेस्ट ब्लॉक, काला कुंआ, अलवर

05— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) अलवर

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:42:38 IST
Reason: SelfAttested

—प्रारम्भिक निर्णय—

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राज० काश्तकारी

सहायक कलक्टर
अलवर

CamScanner

अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 270 रकबा 0.33 है०, 271 रकबा 0.24 है०, 272 रकबा 0.38 है०, 273 रकबा 0.33 है०, 274 रकबा 0.11 है०, कुल किता 5 रकबा 1.30 है० वाके ग्राम श्योदानपुरा तहसील व जिला अलवर मे स्थित है, जिसे आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। विवादित आराजी में वादी सं० 1 का 17/288 हिस्सा यानि 981.21 वर्गगज भूमि, वादी संख्या–2 का 17/288 हिस्सा यानि 981.21 वर्गगज भूमि, वादी संख्या–3 का 11/288 हिस्सा यानि 634.90 वर्गगज भूमि, वादी संख्या–4 का 11/288 हिस्सा यानि 634.90 वर्गगज भूमि वादी संख्या–5 का 1533 वर्गगज + 637.5 वर्गगज हिस्सा निहित है। वादी संख्या 1 लगा० 4 का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में सही रूप से हो रहा है परन्तु वादी संख्या–5 की खरीदशुदा भूमि का अंकन सही प्रकार से नही हो रहा है, जो तथ्य गौर श्रीमान् है। वादी संख्या–5 द्वारा आराजी खसरा नम्बर 270, 271, 272, 273, 274 ग्राम श्योदानपुरा में 1533 वर्गगज भूमि जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 13.10.2011 के श्रीमती सजनी आहुजा एवं राजकुमार तीर्थानी से क्रय की गई है एवं 637.5 वर्गगज भूमि जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 19.11.2014 के ओमप्रकाश यादव पुत्र देवकिशन यादव से क्रय की गई है। वादी संख्या–5 के हक में हुए उक्त 2 किता बैयनामा की प्रतियां संलग्न है। वादी संख्या–5 की आराजी खसरा नम्बर 270, 271, 272, 273, 274 ग्राम श्योदानपुरा तहसील अलवर में खरीदशुदा भूमि 637.5 वर्गगज का स्वामी ओमप्रकाश यादव था, जिसके द्वारा उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 22.01.2013 के राधेश्याम पुत्र सोहन लाल गुर्जर से क्रय की गई थी। राधेश्याम को द्वारा उक्त 637.5 वर्गगज भूमि जर्ये रजिस्टर्ड दिनांक 16.4.2012 के पुरूषोत्तम अग्रवाल पुत्र श्रीनिवास अग्रवाल से क्रय की गई थी। पुरूषोत्तम अग्रवाल के द्वारा उक्त 637.5 वर्गगज भूमि के रिकार्डेड खातेदार वीरेन्द्र अग्रवाल एवं राजकुमार तीर्थानी से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 03.11.2011 के क्रय की गई थी, जो तथ्य गौर श्रीमान् है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 270, 271, 272, 273, 274 ग्राम श्योदानपुरा की बाबत वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी बाहमी तकासमा मौके पर हिस्से अनुसार [illegible] है। जिसके चलते वादीगण एवं प्रतिवा[illegible] काबिज होकर उपयोग, उपभोग करते है। वादीगण [illegible] कई बार

Signature Not Verified
Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:42:38 IST
Reason: SelfAttested

Nav

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

CamScanner

प्रतिवादीगण से आराजी में स्वयं के निहित हिस्से की जिस पर वादीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग करते है निर्माण मौके पर किये हुए है, को विधिवत तकसीम कर वादीगण का खाता पृथक कायम करा देवे, जिसपर हमेशा ही प्रतिवादीगण द्वारा टालबाल की जाकर समय व्यतीत किया जाता रहा है। दिनांक 15.6.2022 को प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजी को तकसीम कराने से इंकार हो गये जिस कारण से हस्तगत वाद बाबत तकसीम आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है। बिनायदावी बिनायमुखास्मत दिनांक 15.6.2022 को, जिस दिन प्रतिवादीगण ने तकसीम करने से इंकार कर दिया, उत्पन हुई है।

वादीगण ने आराजी खसरा नम्बर 270, 271, 272, 273, 274 ग्राम श्योदानपुरा तहसील अलवर को तकसीम कर वादी संख्या–1 का 17/288 हिस्सा यानि 981.21 वर्गगज भूमि, वादी संख्या–2 का 17/288 हिस्सा यानि 981.21 वर्गगज भूमि, वादी संख्या–3 का 11/288 हिस्सा यानि 634.90 वर्गगज भूमि, वादी संख्या–4 का 11/288 हिस्सा यानि 634.90 वर्गगज भूमि वादी संख्या–5 का 1533 वर्गगज + 637.5 वर्गगज हिस्सा पृथक से कायम किया जाकर, खातेदार घोषित करने एवं वादीगण की मिलकियत की भूमि जिस पर वादीगण मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है में, प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करने बाबत पाबन्द करने का न्यायालय को निवेदन किया है।

पत्रावली मा० न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर से, विवादित आराजी की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने के कारण, प्राप्त हुई है। वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से श्री दिलीप जैन, एडवोकेट ने आदेशिका दिनांक 20.07.2022 पर दी है। प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 5 बावजूद सूचना उपस्थित नही, जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

वकील वादीगण उपस्थित। बहस सुनी। वकील वादीगण ने वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हु[illegible] आराजी का वादीगण के हिस्सानुसार [illegible] से खाते कायम किये जाने एवं अ[illegible]च्छी व ब[illegible] से बुरी आराजी तकसीम कराये जाने हे[illegible] प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:42:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

CamScanner

तहसीलदार अलवर से कुर्रेजात कायम कर कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाई जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। विवादित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 पर खाता संख्या नया 59 पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का नाम संयुक्त रूप से अंकित किया हुआ है। आराजी में वादी संख्या–1 का 17/288 हिस्सा यानि 981.21 वर्गगज भूमि, वादी संख्या–2 का 17/288 हिस्सा यानि 981.21 वर्गगज भूमि, वादी संख्या–3 का 11/288 हिस्सा यानि 634.90 वर्गगज भूमि, वादी संख्या–4 का 11/288 हिस्सा यानि 634.90 वर्गगज भूमि वादी संख्या–5 का 1533 वर्गगज + 637.5 वर्गगज हिस्सा है। आराजी अबट है, जसका विभाजन अभी तक नही हुआ है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार उक्त भूमि विभाजित कराने के वादीगण एवं प्रतिवादीगण अधिकारी है।

राजस्व रिकार्ड अनुसार भूमि अभी भी अविभाजित एवं शामलाती भूमि है तथा उभयपक्षकारान सम्पूर्ण विवादित आराजी के सहखातेदार है एवं वैधानिक रूप से प्रत्येक इंच भूमि में सभी का अधिकार है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रत्येक खातेदार अपने अपने हिस्से अनुसार विवादित आराजी को तकसीम कराने का अधिकारी है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी को वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजित किये जाने हेतु वाद प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर कुर्रेजात रिर्पोट मंगवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाता है। तहसीलदार अलवर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 खाता सं० नया 59 में आराजी खसरा नम्बर 270, 271, 272, 273, 274 ग्राम श्योदानपुरा तहसील अलवर को मौके पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में अच्छी में से अच्छी एवं बुरी मे से बुरी के आधार पर रिकार्ड एवं मौके के अनुसार सस्ते की सुविधा का ध्यान रखते हुए विभाजन कर, विभाजन प्रस्ताव विवादित आराजी के नक्शे में विभाजन को प्रदर्शित करते हुए आगामी तारीख पेशी 21/1/23 से पूर्व प्रस्तुत करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:42:38 IST
Reason: SelfAttested

Navj

सहायक कलक्टर
(राज०)

CS CamScanner

निर्णय आज दिनांक 29.11.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति पत्रावली में सम्मलित की जावे। प्रारम्भिक डिक्री जारी हो।

(नवज्योति कंवरिया)
सहायक कलेक्टर
अलवर

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:42:38 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner